न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन. अधिकारी :— जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :— 216/2022
GCMS NO. 2022/594

1. बिहारीलाल पुत्र स्व. रामेश्वर उम्र 56 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी परमाकावाली तन् कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज)
2. सुगनाराम पुत्र स्व. रामेश्वर उम्र 54 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी परमाकावाली तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज)
3. संतोष पुत्री स्व. रामेश्वर उम्र 60 वर्ष पत्नी लिछमण जाति गुर्जर निवासी ढाणी परमाकावाली तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज) हाल आबाद बिहारीपुर तहसील नांगल चौधरी जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा
4. माया पुत्री स्व. रामेश्वर उम्र 55 वर्ष पत्नी गुरदयाल जाति गुर्जर निवासी ढाणी परमाकावाली तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज) हाल आबाद बिहारीपुर तहसील नांगल चौधरी जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा

....................वादीगण

बनाम

1. ताराचंद पुत्र रामकुवार उम्र 66 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी परमाकावाली तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज)
2. हरीराम पुत्र रामकुवार उम्र 64 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी परमाकावाली तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज)
3. प्रकाश पुत्र रामेश्वर उम्र 55 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी परमाकावाली तन् कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज)
4. पप्पू पुत्र रामेश्वर उम्र 52 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ढाणी परमाकावाली तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज)
5. मेंवा पुत्री रामेश्वर उम्र 56 वर्ष पत्नी छोटूराम जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी परमाकावाली तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज) हाल आबाद भोदन तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज)
6. भगुता दत्तक पुत्र लिछमण उम्र 60 वर्ष जाति गुर्जर निवासी परमाकावाली तन कालोटा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं (राज.)
7. लीलाराम पुत्र बनवारी उम्र 64 वर्ष जाति गुर्जर निवासी परमाकावाली तन् कालोटा तहसील जिला (राज)
8. कैलाश पुत्र बनवारी उम्र 58 वर्ष जाति गुर्जर निवासी परमाकावाली तन् कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज)
9. शिम्भू पुत्र बनवारी उम्र 52 वर्ष जाति गुर्जर निवासी परमाकावाली तन् कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज)
10. कृष्णा पुत्री बनवारी पत्नी राजू उम्र 45 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी परमाकावाली तन् कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज) हाल आबाद भूदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज)
11. कोयली पुत्री बनवारी पत्नी मन्दरूप उम्र 48 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी परमाकावाली तन कालोटा तहसील खेतड़ी जिला (राज) हाल आबाद भोदन तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज)
12. चिड़िया पुत्री बनवारी पत्नी रोतान उम्र 54 वर्ष जाति गुर्जर निवासी निवासी परमाकावाली तन् कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज) हाल आबाद भूदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

13. बिमला पुत्री बनवारी पत्नी उम्र 46 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी परमाकावाली तन् कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज) हाल आबाद

14. जयकोरी पत्नी स्व. बनवारी उम्र 80 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी परमाकावाली तन् कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज)

15. भूमिधारक तहसीलदार खेतड़ी

.....................प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1.	श्री मनीराम सिराधना	अधिवक्ता	वादीगण की ओर से
2.	श्री रामसिंह अवाना	अभिभाषक	प्रति. संख्या 1 लगा. 14 की ओर से

दावा :— खातेदारी घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955
एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

—: निर्णय :— **दिनांक :— 02—01—2023**

वादीगण की ओर से दिनांक 16.09.2022 को इस आशय का वाद पत्र पेश किया गया कि :—

1. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 14 का पूर्वज हरनंदा था। जिसके दो पुत्र दानाराम व जोधा हुए। वादीगण जोधा के वारिसान है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 दानाराम के वारिसान है।

2. यह कि ग्राम कालोटा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2012 खतौनी संख्या 16 में खसरा नं. 240 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 241 रकबा 5 बीघा, खसरा नं. 242 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 3 में कुल तीस बीघा 12 बिस्वा भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 14 के पूर्वजो दाना व जोधा पुत्रान हरनंदा का (दो आना) हिस्सा था। इस भूमि में इसी प्रकार हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चलता रहा तथा दाना व जोधा की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के दर्ज हो गया।

3. यह कि ग्राम कालोटा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खतौनी संख्या 54 जमाबंदी संवत 2012 खसरा नं. 225 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 226 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 232 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 1185/237 रकबा 17 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 14 के पूर्वजो दाना व जोधा पुत्रान हरनंदा की खातेदारी में दर्ज चलता रहा तथा दाना व जोधा की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के दर्ज हो गया।

4. यह कि ग्राम कालोटा स्थित भूमि खतौनी संख्या 8 जमाबंदी संवत 2012 खसरा नं. 197 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 14 के पूर्वजो दाना व जोधा पुत्रान हरनंदा जाति गुर्जर के नाम दर्ज थी। तथा उसके बाद इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चलता रहा तथा दाना व जोधा की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज हो गया।

5. यह कि ग्राम कालोटा स्थित भूमि खतौनी संख्या 167 संवत 2012 खसरा नं. 200 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 210 रकवा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 212 रकवा 4 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 14 के पूर्वजो दाना व जोधा पुत्रान हरनंदा की खातेदारी में (एक आना) हिस्सा दर्ज था। इस भूमि में इसी प्रकार आगे की जमाबंदियों में दर्ज चलता रहा तथा दाना व जोधा की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के भूमि दर्ज हो गयी।

6. यह कि गत खसरा नं. 240, 241, 242 व 225, 226, 232, 1185/237, 197, 200, 210, 212, 224 के वर्तमान खसरा नं. 407, 409, 410, 230/9, 241, 267, 379, 393, 404, 255, 258, 266, 1827/301, 376, 377 बने है।

7. यह कि वादीगण का पूर्वज जोधा था जिसकी पत्नी मोहरली थी। मोहरली वादीगण की दादी लगती है। जोधा की मृत्यु के बाद जोधा के हिस्से की भूमि की खातेदारी मोहरली के

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज हो गयी। तब से मोहरली के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। मोहरली की मृत्यु दिनांक 20/09/1990 हो चुकी है। तथा खातेदार कस्तूरी देवी की भी मृत्यु हो चुकी है। उसके वारिसान को प्रतिवादीगण बनाया है।

8. यह कि वर्तमान में ग्राम कालोटा का एक रेवेन्यू गाँव कोल्याली बना दिया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बाद वर्णित भूमि ग्राम कोल्याली पटवार हल्का कालोटा के राजस्व रिकॉर्ड में आ चुकी है। जो इस प्रकार है।

9. यह कि ग्राम कोल्याली स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2076 से 2079 के खाना संख्या पुराना 10 एवं खाता संख्या नया 10 खसरा नं. 407 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नं. 409 रकबा 0.03 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.06 हैक्टर के वादीगण की दादी मोहरली का नाम राजस्व रिकॉर्ड में 1/16 हिस्सा दर्ज है। इस भूमि पर मोहरली के जीवनकाल से वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है जिसकी खातेदारी की घोषणा करवाये जाने का वादीगण को अधिकार है।

10. यह कि ग्राम कोल्याली पटवार हल्का कालोटा स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2076 लगायत 2079 खाता संख्या पुराना 12 खाता संख्या नया 11 खसरा नं. 410 रकबा 7.68 हैक्टर में वादीगण की दादी मोहरली के नाम 1/16 हिस्सा दर्ज है। इस भूमि को भी वादीगण मोहरली के जीवनकाल से ही काश्त करते आ रहे है। यह भूमि भी अभी तक वादीगण के खातेदारी में दर्ज नहीं हुई है। वादीगण उक्त भूमि में भी अपनी खातेदारी की घोषणा कराये जाने के अधिकारी है।

11. यह की ग्राम कोल्याली पटवार हल्का कालोटा जमाबंदी संवत 2076 से 2079 खाता पुराना 9 व खाता नया 9 खसरा नं. 1922/230 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नं. 241 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नं. 267 रकबा 1.09 हैक्टर, खसरा नं. 379 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नं. 393 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नं. 404 रकबा 0.22 हैक्टर, कुल खसरे 6 कुल रकबा 2.26 हैक्टर में वादीगण का 1/2 हिस्सा है। जो 1/2 हिस्सा वादीगण की दादी मोहरली की खातेदारी में दर्ज है। वादीगण उक्त भूमि में मोहरली के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि को मोहरली के जीवनकाल से काश्त करते आये है। उसकी खातेदारी अभी तक वादीगण के नाम नहीं हुई है। वादीगण इस खाते की भूमि में 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है।

12. यह कि ग्राम कोल्याली पटवार हल्का कालोटा स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2076 लगायत 2079 खाता संख्या पुराना 132 खाता संख्या नया 139 वर्तमान खसरा नं. 1827/301 रकबा 0.20 हेक्टेयर खसरा नं. 266 रकबा 0.72 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.92 हैक्टर में वादीगण की दादी मोहरली के राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा 1/32 दर्ज है। इस भूमि पर मोहरली के जीवनकाल से वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है जिसकी खातेदारी की घोषणा करवाए जाने का वादीगण को अधिकार है।

13. यह कि ग्राम कोल्याली पटवार हल्का कालोटा स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2076 लगायत 2079 खाता संख्या पुराना 139 खाता संख्या नया 155 वर्तमान खसरा नं. 255 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नं. 258 रकबा 1.04 हैक्टर कुल खसरे 2 कुल रकबा 2.04 हैक्टर में वादीगण की दादी मोहरली के राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा 1/32 दर्ज है। इस भूमि पर मोहरली के जीवनकाल से वादीगण काबिज़ का त चले आ रहे है जिसकी खातेदारी की घोषणा करवाए जाने का वादीगण को अधिकार है।

14. यह कि ग्राम कोल्याली पटवार हल्का कालोटा स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2076 लगायत 2079 खाता संख्या पुराना 134 खाता संख्या नया 140 खसरा नं. 376 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 377 रकबा 0.02 हैक्टर कुल खसरे 2 कुल रकबा 0.07 हैक्टर में वादीगण की दादी मोहरली उर्फ मोहरी का राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा 1/4 दर्ज है। वादीगण उक्त भूमि में मोहरली उर्फ मोहरी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/4 हिस्से की भूमि पर मोहरली के जीवनकाल से काबिज़ काश्त है। उसकी खातेदारी अभी तक वादीगण के नाम नहीं हुई है वादीगण इस खाते की भूमि में से मोहरली उर्फ मोहरी के हिम्से की 1/4 भूमि की खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है।

15. यह कि जनवरी 2022 में वादीगण अपने हिस्से व कब्जे की भूमि पर ऋण लेकर भूमि में सुधार कार्य करना चाहते थे जिसके लिए वादीगण जमाबंदी की नकल लेने हेतु पटवारी के पास गए तो पटवारी ने रिकार्ड देखकर कहा कि तुम्हारे हिस्से व कब्जे की भूमि तुम्हारी दादी मोहरली के नाम से ही चली आ रही है अभी तक तुम्हारे नाम नहीं हुई है। मोहरली

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

को मरे हुए काफी वर्ष हो चुके है। तब वादीगण ने प्रतिवादीगण को वाद पत्र के खंड संख्या 8, 9, 10 में वर्णित वादीगण की दादी मोहरली के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि की खातेदारी वादीगण की खातेदारी में घोषित कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि वादीगण दावा पेश करके करवा लेवें। वादी को खातेदारी की घोषणा नहीं होने से वादीगण की सख्त हकतल्फी है। तथा वादीगण को अपूर्तनीय क्षति है। वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में इसलिए वादीगण को उक्त दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

16. यह कि पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर वादीगण ने पुराने व नये राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली।

17. यह कि दावा घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरस्ती के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई मियाद निर्धारित नहीं है। वादीगण द्वारा जानकारी मिलने एवं नकल लेने से उक्त दावा घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरस्ती अन्दर मियाद पेश है।

18. यह कि वाद वर्णित भूमि ग्राम कोल्याली पटवार हल्का कालोटा में स्थित है। जो श्रीमान जी के सीमा क्षेत्राधिकार में है इसलिए श्रीमान जी को उक्त दावा सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

19. यह कि दावा घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरस्ती हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची मे 2 रुपये कोर्ट फीस निर्धारित है इसलिए दावा 2 रुपये कोर्ट फीस पर सेवार्पित कर निवेदन है कि :–

(क) यह कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाये।

(ख) यह कि ग्राम कोल्याली पटवार हल्का कालोटा स्थित भूमि वर्तमान खरा नं. 407 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नं. 409 रकबा 0.03 हैक्टर एवं खसरा नं. 410 रकबा 7.68 हैक्टर में वादीगण को मोहरली के हिस्सा 1/16 का एवं खसरा नं. 1922/230 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नं. 241 रकबा 0.03 खसरा नं. 267 रकबा 1.09 हैक्टर, खसरा नं. 379 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नं. 393 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नं. 404 रकबा 0.22 हैक्टर में वादीगण को मोहरली के हिस्सा 1/2 का एवं खसरा नं. 1827/301 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नं. 266 रकबा 0.72 हैक्टर एवं खसरा नं. 255 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नं. 258 रकबा 1.04 हैक्टर में वादीगण को मोहरली के हिस्सा 1/32 का एवं खसरा नं. 376 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 377 रकबा 0.02 हैक्टर में वादीगण को मोहरली उर्फ मोहरी के हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मोहरली का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दुरस्त करने का अमल दरामद किया जावे।

(ग) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो जो चाहे जाने से रह गया हो वो वादीगण को दिलाया जावे।

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 15 बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित रहने पर इसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का इकबाली जवाब दावा पेश किया कि वादीगण के वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 लगायत 20 स्वीकार है।

वादीगण की ओर से निम्न साक्ष्य पेश की गई :–

1. नकल जमाबन्दी संवत 2012 ग्राम कालोटा खाता संख्या 16 (प्रदर्श–1)
2. नकल जमाबन्दी संवत 2012 ग्राम कालोटा खाता संख्या 54 (प्रदर्श–2)
3. नकल जमाबन्दी संवत 2012 ग्राम कालोटा खाता संख्या 8 (प्रदर्श–3)
4. नकल जमाबन्दी संवत 2012 ग्राम कालोटा खाता संख्या 167 (प्रदर्श–4)
5. नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल ग्राम कालोटा (प्रदर्श–5)
6. नकल जमाबन्दी संवत 2076–2079 ग्राम कोल्याली खाता संख्या 10 (प्रदर्श–6)
7. नकल जमाबन्दी संवत 2076–2079 ग्राम कोल्याली खाता संख्या 11 (प्रदर्श–7)
8. नकल जमाबन्दी संवत 2076–2079 ग्राम कोल्याली खाता संख्या 9 (प्रदर्श–8)
9. नकल जमाबन्दी संवत 2076–2079 ग्राम कोल्याली खाता संख्या 139 (प्रदर्श–9)
10. नकल जमाबन्दी संवत 2076–2079 ग्राम कोल्याली खाता संख्या 155 (प्रदर्श–10)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

11. नकल जमाबन्दी संवत 2076–2079 ग्राम कोल्याली खाता संख्या 140 (प्रदर्श–11)
12. मोहरली का मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रदर्श–12)
13. रामेश्वर का मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रदर्श–13)
14. बहादुर का मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रदर्श–14)
15. भाती का मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रदर्श–15)
16. नकल जमाबन्दी संवत 2015 ग्राम कालोटा खाता संख्या 11 (प्रदर्श–16)
17. नकल जमाबन्दी संवत 2015 ग्राम कालोटा खाता संख्या 182 (प्रदर्श–17)
18. नकल जमाबन्दी संवत 2015 ग्राम कालोटा खाता संख्या 11 (प्रदर्श–18)
19. मौखिक साक्ष्य में बिहारीलाल पुत्र रामेश्वर जाति गूर्जर निवासी ढ़ाणी परमाकावाली तन् कालोटा का शपथ पत्र (पी.डब्लू–1)
    तथा पहचान दस्तावेजात् में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के आधार कार्ड की फोटो प्रतियां पेश हुई।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रलेखीय दस्तावेजात् व वादीगण के वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के इकबाली जवाब दावा व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर संदेह से परे साबित होता है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रलेखीय दस्तावेताज् एवं गवाह (पी.डब्लू–1) श्री बिहारीलाल पुत्र रामेश्वर जाति गूर्जर निवासी ढ़ाणी परमाकावाली तन् कालोटा की मौखिक साक्ष्य के आधार पर स्वर्गीय मोहरली उर्फ मोहरी पत्नी जोधा को वादीगण की दादी मानकर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। लिहाजा

–: आदेश :–

अतः राजस्व ग्राम **कोल्याली** पटवार हल्का कालोटा स्थित भूमि खाता संख्या नया 10 के हाल खसरा नम्बर 407 रकबा 0.03 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.03 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.06 हेक्टेयर से मोहरली पत्नि जोहदा हिस्सा 1/16, खाता संख्या नया 11 के हाल खसरा नम्बर 410 रकबा 7.68 हेक्टेयर से मोहरली पत्नि जोहदा हिस्सा 1/16, खाता संख्या नया 139 के हाल खसरा नम्बर 1827/301 रकबा 0.20 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.72 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.92 हेक्टेयर से मोहरली पत्नी जोधा हिस्सा 1/32, खाता संख्या नया 155 के हाल खसरा नम्बर 255 रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 258 रकबा 1.04 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 2.04 हेक्टेयर से मोहरली पत्नी जोधा हिस्सा 1/32, खाता संख्या नया 140 के हाल खसरा नम्बर 376 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.02 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.07 हेक्टेयर से मोहरी पत्नि जोधा हिस्सा 1/4 व खाता संख्या नया 9 के हाल खसरा नम्बर 241 रकबा 0.03 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 267 रकबा 1.09 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.47 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.43 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.22 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1922/230 रकबा 0.02 हेक्टेयर किता 6 कुल रकबा 2.26 हेक्टेयर से मोहरली पत्नि जोहदा हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड से हजफ कर इसके स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

बिहारीलाल आदि

बनाम

ताराचन्द आदि

दावा बाबत :– खातेदारी घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
मुकदमा नम्बर :– 216 / 2022
GCMS NO. 2022 / 594
निर्णय दिनांक :– 02–01–2023

वादीगण की ओर से **श्री मनीराम सिराधना एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 की ओर से **श्री रामसिंह अवाना एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **02–01–2023** को **जय सिंह (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

"राजस्व ग्राम **कोल्याली** पटवार हल्का कालोटा स्थित भूमि खाता संख्या नया 10 के हाल खसरा नम्बर 407 रकबा 0.03 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.03 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.06 हेक्टेयर **से** मोहरली पत्नि जोहदा हिस्सा 1 / 16, खाता संख्या नया 11 के हाल खसरा नम्बर 410 रकबा 7.68 हेक्टेयर से मोहरली पत्नि जोहदा हिस्सा 1 / 16, खाता संख्या नया 139 के हाल खसरा नम्बर 1827 / 301 रकबा 0.20 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.72 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.92 हेक्टेयर से मोहरली पत्नी जोधा हिस्सा 1 / 32, खाता संख्या नया 155 के हाल खसरा नम्बर 255 रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 258 रकबा 1.04 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 2.04 हेक्टेयर से मोहरली पत्नी जोधा हिस्सा 1 / 32, खाता संख्या नया 140 के हाल खसरा नम्बर 376 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.02 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.07 हेक्टेयर से मोहरी पत्नि जोधा हिस्सा 1 / 4 व खाता संख्या नया 9 के हाल खसरा नम्बर 241 रकबा 0.03 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 267 रकबा 1.09 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.47 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.43 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.22 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1922 / 230 रकबा 0.02 हेक्टेयर किता 6 कुल रकबा 2.26 हेक्टेयर से मोहरली पत्नि जोहदा हिस्सा 1 / 2 राजस्व रिकार्ड से हजफ कर इसके स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **02–01–2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner